[2021] 9 एस. सी. आर. 515

गोविंदन

बानाम

डिपार्टमेंट सुपरिंटेन्डेन्ट द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राज्य

पुलिस का

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1665)

17 दिसंबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

सजा/सजा-सजा की मात्रा-अपीलार्थी

ट्रायल कोर्ट यू/द्वारा दोषी ठहराया गया s.304 (II) आई. पी. सी. और दस साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई

दोषसिद्धि और सजा

उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि-उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुद्दा सजा की मात्रा तक सीमित-आयोजित: सजा की मात्रा के संबंध में, यह सब मामले की पृष्ठभूमि के तथ्यों, आरोपी की पृष्ठभूमि, क्या हमला पूर्व-नियोजित और पूर्व-नियोजित था या नहीं, आदि पर निर्भर करता है-वर्तमान मामले में, मार्ग के संबंध में विवाद था, जिसका शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्य दावा कर रहे थे अभियुक्त की भूमि से-घटना अभियुक्त के घर के सामने हुई और जब अभियुक्त की महिला परिवार के सदस्यों पर हमला किया गया, तो जवाबी कार्रवाई में अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों पर हमला किया-ट्रायल कोर्ट ने खुद दर्ज किया कि वास्तविक शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्य हमलावर थे और उन्होंने अपनी भूमि से अभियुक्त के शांतिपूर्ण कब्जे को बाधित करने की कोशिश की-न तो राज्य द्वारा या शिकायतकर्ता द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाया गया था-ट्रायल कोर्ट द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह एक पूर्व नियोजित या पूर्व नियोजित घटना नहीं थी और अचानक झगड़े के दौरान हुई थी-ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अंतिम हो गए हैं-सजा को संशोधित करने के लिए उपयुक्त मामला, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए-अपीलकर्ता पर लगाई गई सजा को दो साल में संशोधित किया गया। s.304 (II)।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1 . वाक्य की मात्रा के संबंध में, यह सब निर्भर करता है

मामले की पृष्ठभूमि के तथ्यों, अभियुक्त की पृष्ठभूमि, क्या हमला पूर्व नियोजित और पूर्व नियोजित था या नहीं, आदि पर। हाथ पर इस मामले में, यह रिकॉर्ड पर साक्षय से स्पष्ट है कि मार्ग के संबंध में एक विवाद था, जो

शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्य जमीन का दावा कर रहे थे

अभियुक्त। इस तरह के हस्तक्षेप को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने एक मुकदमा दायर किया और सिविल कोर्ट से निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किए और इसके बावजूद, अदालत के आदेशों के उल्लंघन के लिए, शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों को 30 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया। पी. डब्ल्यू.-1 के निक्षेपण से भी यही स्पष्ट होता है। घटना अभियुक्त के घर के सामने हुई और जब अभियुक्त के परिवार की महिला सदस्यों पर हमला किया गया, तो ऐसा लगता है कि अपीलार्थी ने जवाबी कार्रवाई में शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों पर हमला किया। ट्रायल कोर्ट ने खुद दर्ज किया है कि वास्तविक शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्य हमलावर हैं और उन्होंने अपनी जमीन से आरोपी के शांतिपूर्ण कब्जे को बाधित करने की कोशिश की है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्ष अंतिम हो गए। इस पर न तो राज्य द्वारा और न ही राज्य द्वारा सवाल उठाया गया था।

शिकायतकर्ता। विचारण न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि यह पूर्व नियोजित या पूर्व नियोजित घटना नहीं थी। यह हुआ

घटना के दिन अचानक झगड़ा। [पैरा 11] [519-जी-एच; 520-ए-डी]

2. स्वयं विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित ऐसे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, जो अंतिम और आगे हो गए हैं, अपीलार्थी द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों को देखते हुए, जो सजा को संशोधित करने के लिए अपीलार्थी के मामले का समर्थन करते हैं, यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सजा को संशोधित करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। उपरोक्त के लिए

धारा के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए कारण

304 ((ii) आई. पी. सी. के अनुसार, सजा को दो साल के कठोर कारावास में संशोधित किया गया है। [पारस 12,13] [520-डी-एफ]

लक्ष्मी चंद और अन्र। वी. उत्तर प्रदेश राज्य, (2018) 9 एस. सी. सी. 704; माधवन और अन्य। वी. तमिलनाडु राज्य (2017) 15 एस. सी. सी. 582 और राम प्यारे मिश्रा बनाम।

प्रेम शंकर और ओआरएस। , (2008) 14 एससीसी 614: [2008]

12 एस. सी. आर. 497 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

(2018) 9 एस. सी. सी. 704

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

(2017) 15 एस. सी. सी. 582

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[2008] 12 एससीआर 497

संदर्भित किया गया है

पैरा 10-गोविंदन बनाम। विभाग द्वारा प्रस्तुत राज्य

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2021 का सं. 1665।

मद्रास में उच्च न्यायालय के 16.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से Crl.A. 2015 की संख्या 17.

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता।, एम. पी. पार्थिबन, आर. सुधाकरन, श्रीमती शालिनी मिश्रा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री प्रीति सिंह, संजीव कुमार महारा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील मद्रास में उच्च न्यायालय के समक्ष दायर 2015 की आपराधिक अपील No.179 में एकमात्र अपीलार्थी द्वारा की जाती है।

16.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से व्यथित।

3. उपरोक्त निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त नं. 1 2011 के सत्र मामले में विद्वान प्रधान सत्र न्यायाधीश, धर्मपुरी की फाइल पर, जिसके द्वारा अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 304 (ii) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और दस साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और तीन महीने के कठोर कारावास से गुजरने के लिए 5,000/- रुपये का जुर्माना अदा किया गया था।

4. एकमात्र अपीलार्थी पर तीन अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ आई. पी. सी. की धारा 34,307 और धाराओं के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था।

3 (2) (v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989। अभियुक्त नं. 2 4 को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था, हालांकि, अकेले अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 304 (ii) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे कठोर दंड की सजा सुनाई गई थी। 5, 000/- रुपये के जुर्माने के साथ दस साल की कैद।

5. प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता और अभियुक्त के पास कोलिमेक्कनूर में आस-पास की जमीनें हैं। यह शिकायतकर्ता का मामला है कि शिकायतकर्ता पक्ष की भूमि पर जाने के लिए अभियुक्त की भूमि से एक मौजूदा मार्ग है। अपीलार्थी द्वारा 2010 के O.S.No.146 में पप्पीरेड्डीपट्टी जिला मुन्सिफ न्यायालय के समक्ष एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था। और

अपीलार्थी के पक्ष में एक निषेधाज्ञा आदेश दिया गया। अभियोजन पक्ष का मामला था कि घटना की तारीख को आरोपी [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बाड़ लगाने की कोशिश की, ताकि वास्तविक शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों को गाड़ी के रास्ते का उपयोग करने से रोका जा सके। दूसरी ओर, मामले में

अपीलार्थी/अभियुक्त का कहना है कि वास्तविक शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी की पट्टा भूमि से एक नया गाड़ी मार्ग बिछाने का प्रयास किया। गाड़ी के रास्ते के बारे में इस तरह के विवाद को देखते हुए, वास्तव में शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों द्वारा अपीलार्थी के घर के सामने झगड़ा हुआ था। उक्त झगड़े में, अपीलार्थी के परिवार की महिला सदस्यों अर्थात् Ms.Kaliammal और Ms.Rajammal को चोटें आईं, जिससे अपीलार्थी/अभियुक्त गोविंदन को मृतक पर हमला करने और चाकू से चोट पहुँचाने के लिए उकसाया गया, जिसके परिणामस्वरूप मृतक कामसला की मृत्यु हो गई।

7. उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील को खारिज करते हुए कहा है कि जब पक्षकारों के बीच दीवानी मुकदमा लंबित है और यदि वास्तव में शिकायतकर्ता अपनी पट्टा भूमि से गुजरता है, तो अपीलार्थी/अभियुक्त को दीवानी न्यायालय के समक्ष उपचार का लाभ उठाना चाहिए था, लेकिन मृतक पर हमला नहीं करना चाहिए था। 8. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु और तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील डॉ. जोसेफ अरस्तू एस. को सुना है।

9. इस न्यायालय ने दिनांक 29.01.2021 के आदेश द्वारा नोटिस जारी किया, जो सजा की मात्रा तक सीमित था। स्वयं विचारण न्यायालय ने पाया है कि

घटना की तारीख को शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्य। यह भी स्पष्ट है अभिलेख पर साक्षय से कि घटना की तारीख यानी 13.06.2010 पर, विवाद केवल शिकायतकर्ता की भूमि तक पहुंचने के लिए अभियुक्त की भूमि से गाड़ी के रास्ते के कारण था। जब अभियुक्त की भूमि में हस्तक्षेप होता था, तो एक दीवानी मुकदमा दायर किया जाता था जिसमें सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा आदेश जारी किए जाते थे। में।

बयान में, पीडब्लू-1 ने यह भी स्वीकार किया कि उसे, उसके पिता, छोटे भाई और माँ को अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए 30 दिनों के लिए सिविल जेल में रखा गया था। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील के पास गोविंदन बनाम है।

पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राज्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

तर्क दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना केवल इसके कारण हुई

दीवानी विवाद और जब शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों ने स्वयं अपीलार्थी की महिला परिवार के सदस्यों पर हमला किया है, तो इसने उकसाया है

वास्तविक शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए अभियुक्त। ट्रायल कोर्ट ने खुद एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि शिकायतकर्ता का परिवार सदस्य आक्रामक होते हैं और कोई पूर्व-योजना या पूर्व-योजना नहीं थी और यह एक अचानक झगड़ा था, जिसमें अपीलार्थी ने अपने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग किया। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों को हुई चोटों के संबंध में, शिकायत के बावजूद, शिकायतकर्ता के परिवार पर मुकदमा चलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील-राज्य ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 304 (ii) के तहत दोषी ठहराया गया था, इसलिए सजा को संशोधित करने का भी कोई मामला नहीं बनाया गया है।

10. लक्ष्मी चंद और अन्र के मामले में इस अदालत के फैसले में। वी. उत्तर प्रदेश राज्य 1, विद्वान वरिष्ठ द्वारा निर्भर

अपीलार्थी के वकील, इस न्यायालय ने मुख्य रूप से इस आधार पर सजा को आठ साल से घटाकर दो साल कर दिया है कि घटना हुई थी

बिना किसी पूर्व-चिंतन के पल भर में हुआ और वही आवारा मवेशियों के संबंध में पड़ोसियों के बीच विवाद के कारण था। इसके अलावा, माधवन और अन्य के मामले में इस अदालत के फैसले में। वी. तमिलनाडु राज्य 2, इस न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 304 (ii) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए अभियुक्त की सजा को जुर्माने की राशि को बाधित किए बिना घटाकर पांच साल कर दिया है, मुख्य रूप से इस आधार पर कि विचाराधीन घटना, बिना किसी पूर्व-विचार के अचानक हुई और यह दो परिवारों के सदस्यों के बीच एक स्वतंत्र लड़ाई थी और घटना में दोनों पक्षों को चोटें आईं। प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील-सजा में संशोधन का विरोध करने वाले

राज्य ने राम प्यारे मिश्रा बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा। प्रेम शंकर और Ors.[3]। उपरोक्त निर्णय में, उलटते हुए उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, इस न्यायालय ने आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 304 (आई) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया है और आठ साल की सजा सुनाई है।

11. सजा की मात्रा के संबंध में, यह सब मामले के पृष्ठभूमि तथ्यों, आरोपी के पूर्ववृत्त, हमला पूर्व नियोजित और पूर्व नियोजित था या नहीं, आदि पर निर्भर करता है। इस मामले में

हाथ, यह रिकॉर्ड पर सबूत से स्पष्ट है कि एक विवाद था

मार्ग के संबंध में, जिसका शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्य अभियुक्त की भूमि से दावा कर रहे थे। इस तरह के हस्तक्षेप को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने एक मुकदमा दायर किया और सिविल कोर्ट से निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किए और इसके बावजूद, अदालत के आदेशों के उल्लंघन के लिए, शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों को 30 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया। पी. डब्ल्यू.-1 के निक्षेपण से भी यही स्पष्ट होता है। घटना अभियुक्त के घर के सामने हुई और जब अभियुक्त के परिवार की महिला सदस्यों पर हमला किया गया, तो ऐसा लगता है कि अपीलार्थी ने जवाबी कार्रवाई में शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों पर हमला किया। ट्रायल कोर्ट ने स्वयं दर्ज किया है कि वास्तविक शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्य हैं

हमलावरों और उन्होंने अपनी भूमि से अभियुक्तों के शांतिपूर्ण कब्जे को बाधित करने की कोशिश की है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्ष अंतिम हो गए। न तो राज्य द्वारा और न ही शिकायतकर्ता द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि यह पूर्व नियोजित या पूर्व नियोजित घटना नहीं थी। यह घटना के दिन यानी 14.06.2010 पर अचानक झगड़े में हुआ।

12. स्वयं विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित ऐसे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, जो अंतिम और आगे हो गए हैं, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, जो समर्थन करते हैं सजा को संशोधित करने के लिए अपीलार्थी के मामले में, हम यह उचित समझते हैं कि यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सजा को संशोधित करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

13. उपरोक्त कारणों से, आई. पी. सी. की धारा 304 (ii) के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, हम सजा को दो साल के कठोर कारावास और 5,000/- रुपये के जुर्माने में संशोधित करते हैं, चूक में तीन (03) महीने के कठोर कारावास से गुजरना पड़ता है।

14. अपील की अनुमति आंशिक रूप से दी जाती है, जिस हद तक ऊपर बताया गया है।

अपील

की आंशिक रूप से अनुमति है।

बिभूति भूषण बोस